26.03.2025 **राजस्व अपील संख्या 16/2022 अनवान मीरखॉन बनाम राजस्थान राज्य**

पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर तथा अपील पर पक्षकारान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस के पश्चात अन्तिम निर्णय सुनाये जाने हेतु रिजर्व रखी हुई थी जो प्रस्तुत हुई।

पक्षकारान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस पर गहनता से मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1965 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा तहसीलदार जैसलमेर को लिखे गये पत्र क्रमांक राजस्व/2013/ 5215 दिनांक 24.04.2013 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुए उसे न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी गई है। उक्त पत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा तहसीलदार जैसलमेर को सूचनार्थ प्रेषित किया है जिसमें यह अंकित है कि "राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प.09 (35) राज.6/2011/12 जयपुर एवं प्रस्तावित भूमि/ ग्राम नगर विकास न्यास जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित ग्राम/ क्षेत्र में स्थित होने से प्रकरण में आबादी भूमि विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।"

ऐसे में उक्त अपीलाधीन पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट ने जिस पत्र को आदेश मानकर चुनौती दी गई है वह एक–दूसरे कार्यालय के मध्य हुए पत्राचार की श्रेणी में आता है न कि आदेश की। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके सन्मुख हुए अपील/प्रकरण में विधिवत अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त उक्त अन्तिम निर्णय के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जा सकती है जबकि उक्त पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि कौनसा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत किया गया है। ऐसे में उस पत्र व्यवहार के पत्र को अन्तिम आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और न ही उसके विरूद्ध अपीलान्ट की प्रस्तुत अपील न तो पोषणीय मानी जा सकती है और न ही अपील श्रवण योग्य मानी जा सकती है। अतः उपरोक्त समस्त ऑब्जर्वेशनस को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर पोषणीय नहीं होने एवं श्रवण योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण दर्ज रजिस्टर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड आदेशिका की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावें।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर